

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

खण्ड 3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
दूरभाष क्रमांक 0771 2331385, फैक्स.0771 2445215 ई.मेल cg.dpi.dir@gmail.com

ज्ञाप.क्र./97/ सेजेस / CBT / विज्ञापन / 2026

नवा रायपुर, दिनांक 29/09/2026

// संविदा भर्ती विज्ञापन //

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का आदेश क्रमांक/एफ 23-08/2020/20-3 रायपुर दिनांक 20/05/2020 तथा स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश/एफ 23-08/2020/20-3/28 नवा रायपुर दिनांक 03/07/2020 एवं अपर सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 23-08/2020/20-तीन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30/06/2021, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1558 नवा रायपुर दिनांक 02.05.2023 एवं छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक ESTB-1/3084/2026/20-3 नवा रायपुर, दिनांक 19.06.2026 के अनुसार कम्प्यूटर आधारित चयन परीक्षा के माध्यम से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा कुल रिक्त 1812 पदों की पूर्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने संक्षिप्त विज्ञापन कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ सेजेस/ संविदा भर्ती/2026-27/78 नवा रायपुर दिनांक 09.09.2026 को जारी किया गया था।

इस विज्ञापन में संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट <http://eduportal.cg.nic.in> के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। विज्ञापित संविदा पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ, आयुसीमा, आरक्षण, एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार हैं :-

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के कुल रिक्त 1812 संविदा पदों का विवरण :-

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	रिक्त पद की संख्या	संविदा हेतु एकमुश्त मासिक मानदेय राशि रुपये	न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता
1	2	3	4	5	6	7
1	व्याख्याता	हिन्दी	—	51	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य।
2	व्याख्याता	अंग्रेजी	अंग्रेजी	65	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
3	व्याख्याता	संस्कृत	—	47	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय (संस्कृत / क्लासिक्स/ आचार्य) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य।
4	व्याख्याता	भूगोल	अंग्रेजी	2	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय भूगोल में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
5	व्याख्याता	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी	3	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय अर्थशास्त्र में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
6	व्याख्याता	इतिहास	अंग्रेजी	3	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय इतिहास में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

7	व्याख्याता	राजनीति शास्त्र	अंग्रेजी	3	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से संबंधित विषय राजनीति शास्त्र / लोकप्रशासन में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
8	व्याख्याता	सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी	52	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से संबंधित विषय(अर्थशास्त्र/ भूगोल/राजनीति/इतिहास) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
9	व्याख्याता	गणित	अंग्रेजी	49	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से संबंधित विषय (गणित/ एप्लाइड गणित) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
10	व्याख्याता	जीव विज्ञान	अंग्रेजी	39	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से संबंधित विषय (वनस्पति शास्त्र/ प्राणी शास्त्र/ लाइफ साइन्स/ जैविकी/अनुवांशिकी (जेनेटिक्स)/ सूक्ष्म जैविकी (माइक्रो बायोलॉजी)/ जैव प्रोद्योगिकी/ (बायोटेक्नोलॉजी)/ आणविक जीव विज्ञान (मॉलिकुलर बायोलॉजी)/ पादप कार्यिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर में प्राणीशास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

11	व्याख्याता	वाणिज्य	अंग्रेजी	104	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय (एकाउन्टेसी सहित वाणिज्य/ कास्ट एकाउंटिंग/ फाइनेन्सियल एकाउन्टेसी मुख्य विषय रहा हो) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
12	व्याख्याता	रसायन	अंग्रेजी	44	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय (रसायन/ बायोकेमेस्ट्री) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
13	व्याख्याता	भौतिक	अंग्रेजी	53	38100	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय (भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/ एप्लाइड भौतिकी /न्यूक्लियर भौतिकी) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
14	प्रधानपाठ क प्राथमिक शाला	—	अंग्रेजी	27	35400	1. मान्यता प्राप्त मण्डल से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी.एड./ डी.एल.एड. परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। 3. T.E.T. प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
15	प्रधानपाठ क पूर्व माध्यमिक शाला	—	अंग्रेजी	24	38100	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं डी.एड./बी.एड./डी.एल.एड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। 3. T.E.T. पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।

16	सहायक शिक्षक	—	अंग्रेजी	590	25300	1. मान्यता प्राप्त मण्डल से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी.एड./ डी.एल.एड. परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। 3. T.E.T. प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
17	शिक्षक	हिन्दी	—	17	35400	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय हिन्दी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण एवं डी.एड./बी.एड./डी.एल.एड. अनिवार्य। 2. T.E.T. पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
18	शिक्षक	संस्कृत	—	17	35400	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय संस्कृत में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण एवं डी.एड./बी.एड./डी.एल.एड. अनिवार्य। 2. T.E.T. पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
19	शिक्षक	अंग्रेजी	अंग्रेजी	106	35400	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं डी.एड./बी.एड./डी.एल.एड. परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य। 2. शिक्षक अंग्रेजी (अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो)। 3. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। 4- T.E.T. पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
20	शिक्षक	सामाजिक विज्ञान (कला)	अंग्रेजी	72	35400	1.मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं डी.एड./बी.एड./डी.एल.एड. परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य। 2. शिक्षक सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, अथवा राजनीति विज्ञान स्नातक स्तर कम से कम एक विषय रहा हो)। उक्त विषय के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी पर विचार किया

						जावेगा। 3. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। 4. T.E.T. पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
21	शिक्षक	विज्ञान	अंग्रेजी	56	35400	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं डी.एड./बी.एड./बी.एल.एड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य। 2. शिक्षक विज्ञान (रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भू-गर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर हो)। 3. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। 4. T.E.T. पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
22	शिक्षक	गणित	अंग्रेजी	68	35400	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं डी.एड./ बी.एड./बी.एल.एड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य। 2. शिक्षक गणित हेतु (गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय भौतिकी/रसायन/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ कम्प्यूटर साइंस /सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान/भू- गर्भ विज्ञान स्नातक स्तर पर हो) 3. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। 4. T.E.T. पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
23	व्यायाम शिक्षक	—	अंग्रेजी	50	35400	1. मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी.पी.एड अथवा बी.पी.एड. सहित स्नातक। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

24	ग्रंथपाल	—	अंग्रेजी	60	22400	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक एवं बी.लिब. की उपाधि अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
25	शिक्षक कम्प्यूटर	—	अंग्रेजी	40	35400	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/आई.टी./ कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
26	प्रयोग शाला सहायक	—	अंग्रेजी	170	25300	1. जीव विज्ञान/गणित विषय समूह के साथ मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
कुल				1812		

- टीप :-** 1. पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं व्यवसायिक योग्यता के लिए छ.ग. राजपत्र, दिनांक- 13 फरवरी 2026 और 22 सितंबर 2026 में विस्तृत विवरण अनुसार मान्य किया जायेगा।
2. उपरोक्त विज्ञापित संविदा पदों में समय समय पर जारी छ.ग. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार संबंधित जिले के रिक्त पदों के अनुरूप 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट- 'अ' में देखा जा सकता है।
3. छ.ग. में सिविल सेवा नियम के अनुसार महिला आरक्षण, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासन द्वारा समय समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जाएगा। जिसका विवरण परिशिष्ट- 'अ' में देखा जा सकता है।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए शिक्षकीय/गैर शिक्षकीय कर्मचारियों के कुल 1812 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति किये जाने हेतु योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01/10/2026 से दिनांक 21/10/2026 को रात्रि 12:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। विज्ञापन का अवलोकन एवं ऑनलाईन आवेदन हेतु लोक शिक्षण संचालनालय के वेबसाइट <https://eduportal.cg.nic.in/> पर उपलब्ध है।

चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें :- संविदा भर्ती परीक्षा में पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को, निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :-

1. आनलाईन आवेदन पत्र लोक शिक्षण संचालनालय के वेबसाइट <https://eduportal.cg.nic.in/> पर ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01/10/2026 से दिनांक 21/10/2026 को रात्रि 12:00 बजे तक आवेदन करना होगा।
आफलाईन आवेदन – पंजीकृत डाक/डाक से प्राप्त आवेदन अमान्य है।
2. विज्ञापित संविदा के रिक्त पदों की भर्ती कम्प्यूटर आधारित चयन परीक्षा— **CBT (Computer Based Test)** के माध्यम से किया जाएगा।
3. ऑनलाईन परीक्षा आयोजन 31 अक्टूबर से 05 नवंबर के मध्य विभिन्न तिथियों के अलग-अलग पालियों में संभावित है। आवेदकों से अनुरोध है कि परीक्षा तिथियों से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से लोक शिक्षण संचालनालय के वेबसाइट <https://eduportal.cg.nic.in/> का अवलोकन करते रहें।
4. कम्प्यूटर आधारित चयन परीक्षा— **CBT (Computer Based Test)** का माध्यम अंग्रेजी होगा।
5. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति नियम 2012) के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
6. संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। शासकीय सेवा में समान पदों पर दावा की पात्रता नहीं होगी। शासन समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्युत किया जा सकता है।
7. अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. **आवेदक को अर्हताधारी शैक्षणिक योग्यता (कक्षा 6वीं से स्नातकोत्तर उपाधि) अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केवल हिन्दी व संस्कृत के व्याख्याता/शिक्षक के लिये अंग्रेजी माध्यम बाध्यकारी नहीं होगा।**
9. सेजेस में कार्यरत संविदा शिक्षकीय कर्मचारी समान पद हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। केवल उच्च पद हेतु आवेदन कर पायेंगे। इस हेतु शपथ पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे कि समान पद पर आवेदन नहीं किये हैं।
10. छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम 2024 के तहत अधिसूचित अवकाश नियम नियुक्त संविदा कर्मचारी के लिए लागू होगा।
11. संविदा भर्ती कर्मचारी छ.ग. शासन सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अधीन होंगे।
12. संविदा कर्मचारी को संविदा अवधि में पेंशन मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छ.ग. शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त है, की पात्रता नहीं होगी।
13. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
14. नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. अपूर्ण एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

16. शासन के द्वारा उक्त पदों पर नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
17. राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी, जो सर्वमान्य व सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
18. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के समय संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।
19. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
20. उक्त विज्ञापित शैक्षणिक पदों में दर्शित न्यूनतम योग्यता आवेदन दिनांक तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा और शिक्षक के लिये सी.जी./सी टीईटी (पूर्व माध्यमिक स्तर) एवं सहा. शिक्षक के पद हेतु सी.जी./सी टीईटी (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

आवेदकों के लिये निर्धारित आयु:-

- (i) 01 जनवरी, 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
- (ii) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (iii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (iv) दिव्यांगजन व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
- (v) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयक समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो “छंटनी किया गया शासकीय सेवक” हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि 1 से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:— “छंटनी किया गया शासकीय सेवक” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- (vi) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (vii) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (viii) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (ix) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप— (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (ड) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात्, सेवा से त्यागपत्र देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों के चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(x) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(xi) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ:-

(एक) अभ्यर्थी के पास **व्याख्याता** पद पर सेवा के लिये निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है:-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर/समकक्ष एवं बी.एड.

स.क्र.	विषय	विषय समूह
(1)	(2)	(3)
1.	हिन्दी	हिन्दी
2.	अंग्रेजी	अंग्रेजी
3.	संस्कृत	संस्कृत/कलासिक्स/आचार्य
4.	भौतिकी	भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाइड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी
5.	राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन
6.	इतिहास	इतिहास/प्राचीन भारतीय इतिहास
7.	भूगोल	भूगोल
8.	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र/एप्लाइड अर्थशास्त्र/बिजनेस अर्थशास्त्र

(दो) अभ्यर्थी के पास **शिक्षक** पद पर सेवा के लिये निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है :-

(क) स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा (बी.एड.) में एक वर्षीय स्नातक

अथवा

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा (बी.एड) में एक वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं चार वर्षीय बी.ए.एड./बी.एस-सी.एड. या बी.एल.एड.

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा बी.एड. (विशेष शिक्षा) में एक वर्षीय स्नातक

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक के अनिवार्य विषय निम्नानुसार होंगे—

स.क्र.	विषय	विषय समूह
(1)	(2)	(3)
1.	हिन्दी	हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो
2.	संस्कृत	संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बी.ए. (क्लासिक्स)
3.	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो
4.	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय— भौतिकी/रसायन/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साईंस/सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान/भू-गर्भ विज्ञान।
5.	सामाजिक विज्ञान	इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होगा।
6.	विज्ञान	विज्ञान के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय— भौतिकी/रसायन/

(तीन) अभ्यर्थी के पास सहायक शिक्षक पद पर सेवा के लिये निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है :-

(क) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एन.सी.टी.ई. (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षाशास्त्र) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

विशेष :- उपरोक्त पदों की शैक्षणिक अर्हताएँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं और माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अनुक्रम में मान्य की जावेगी।

3. निरर्हताएं :-

(क) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्तकर्ता द्वारा चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

(ii) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/ होगी :

परन्तु यदि शासन को यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये :

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

(vi) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद लिए पात्र नहीं होगा।

(vii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताएँ, अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।

(viii) चयनित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन अर्थात् पुलिस प्रमाणीकरण की विधिवत कार्यवाही के अध्यक्षीन होगा।

4. अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :-

(i) चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्तकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा हेतु प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(ii) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तकर्ता प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

(iii) दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर अयोग्य माना जायेगा।

5. पदों हेतु आरक्षण :-

(i) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। नियम के उपबंध के अध्यक्षीन रहते हुए, नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त, दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के लिए पदों को, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016

का सं. 49) एवं इसके तहत बनाए गए नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार पदों का आरक्षण, 7 प्रतिशत रहेगा।

- (iv) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2019/आ.प्र. /1-3, रायपुर, दिनांक 05.03.2019 के बिंदु क्रमांक 03 निःशक्तता का समूह के लिये निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार रहेगा।
- (v) (1) पूर्ण अंधत्व ग्रसित व्यक्ति यदि ब्रेल लिपि प्रशिक्षित (पढ़ने एवं लिखने में दक्षता) हो तो भाषा समूह, कला समूह एवं वाणिज्य समूह के अध्यापन हेतु उपयुक्त माना जायेगा।
- (2) ब्रेललिपि अप्रशिक्षित पूर्ण अंधत्व ग्रसित व्यक्ति सभी विषयों हेतु अपात्र होंगे।
- (3) श्रवण शक्ति द्वारा बाधित व्यक्ति यदि श्रवण यंत्र की सहायता से सुनने में सक्षम हो तो ही पात्र होंगे एवं पूर्ण बधिर व्यक्ति अपात्र होंगे।

6. चयन सूची :-

- (i) भर्ती परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा— **CBT (Computer Based Test)** द्वारा किया जायेगा। परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी लोक शिक्षण संचालनालय के वेबसाइट <https://eduportal.cg.nic.in/> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- (ii) भर्ती परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार की गई चयन सूची की वैधता, चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से छः माह की होगी।
- (iii) प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक तथा अधिकतम रिक्त पदों के 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। प्रतीक्षा सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची जारी होने की तारीख से 09 माह की होगी।
- (iv) छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुये उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची आये हो।

7. अन्य निर्देश :-

- (i) (क) व्याख्याता पद के अभ्यर्थी व्याख्याता के विज्ञापित पदों में से किसी 01 विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक विषयों में आवेदन अमान्य किया जायेगा।
- (ख) प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला/शिक्षक के विज्ञापित पदों में से किसी एक विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(ग) प्रधानपाठक प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक के विज्ञापित पदों में से किसी एक विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(घ) व्यायाम शिक्षक के विज्ञापित पदों हेतु एक आवेदन कर सकते हैं।

(ङ.) ग्रंथपाल के विज्ञापित पदों हेतु एक आवेदन कर सकते हैं।

(च) शिक्षक कम्प्यूटर के विज्ञापित पदों हेतु एक आवेदन कर सकते हैं।

(छ) प्रयोगशाला सहायक के विज्ञापित पदों हेतु एक आवेदन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता होने पर अधिकतम 7 अलग-अलग आवेदन कर सकेगा।

जिसके आधार पर अलग-अलग परीक्षा तिथि/बैच निर्धारित किया जावेगा।

(ii) दिव्यांग श्रेणी में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके पदांकित जिला के जिला मेडिकल बोर्ड से बेंचमार्क दिव्यांगता एवं कार्य निष्पादन आवश्यकताओं का परीक्षण कराया जायेगा, उसके उपरांत ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(iv) चयन सूची कम्प्यूटर आधारित परीक्षा- **CBT (Computer Based Test)** के परिणाम के आधार पर तैयार की जायेगी।

(v) चयन प्रक्रिया हेतु राज्य शासन की अनुमति से विशेषज्ञ संस्थाओं का तकनीकी सहयोग लिया जायेगा।

(vi) पदों पर संविदा नियुक्तियां छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम - 2026 अनुसार की जायेगी।

(vii) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्वधीन रहेगा।

(viii) ऑन-लाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम/निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति अमान्य/निरस्त किया जा सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी के अर्हता प्रमाण पत्र उनकी नियामक संस्थाओं/जारीकर्ता संस्थाओं के प्रचलित नियमों के अनुक्रम में मान्य किये जायेंगे।

(x) नियुक्त उम्मीदवारों को उनके संविदा पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन देय होंगे।

(xi) संविदा सेवा में केवल मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता नहीं दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

(xii) अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र **CBT** की निर्धारित ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व तिथि तक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(xiii) आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/आरक्षण) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(xiv) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(xv) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं अथवा किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो उन्हें नियोक्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xvi) युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि, दोहरी उपाधि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी D.O. No. F.1-6/2007 (CPP-II) (Comp.No. 108737) दिनांक 05 जून 2025 के अधीन होगी।

(xvii) अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना एवं अन्य जानकारी विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन दी जायेगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से विभाग के पोर्टल <https://eduportal.cg.nic.in/> का अवलोकन करते रहेंगे।

(xviii) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा— **CBT (Computer Based Test)** की संभावित तिथि 31.10.2026 से 05.11.2026 के मध्य संभावित है। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग तिथियों/पालियों में परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(xix) (अ) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जायेगा, जिसे विभाग/नियोक्ता ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-

- (एक) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- (दो) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
- (तीन) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- (चार) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (पांच) चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (छः) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (सात) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (आठ) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (नौ) प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो या
- (दस) परीक्षा कक्ष में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (ग्यारह) परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (ब) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा चयन के लिए अभ्यर्थिता भी निरस्त की जा सकेगी।

नियुक्ति अवधि :-

1. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति और स्वामी आत्मानंद शिक्षण समिति के निर्णय अनुसार सभी पदों पर संविदा नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की जावेगी। तथापि प्राचार्य एवं समिति की अनुशंसा के आधार पर कर्मचारी की कार्यक्षमता का आंकलन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति की कालावधि (गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर) नवीनीकरण/बढ़ायी जा सकेगी।
2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 03 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 03 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा

2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 03 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 03 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा अवधि पूर्ण होने पर समिति द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
3. अंतिम चयन सूची जारी होने के उपरांत बनाई गई प्रतीक्षा सूची 09 माह के लिए वैध होगी।

अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का निर्णय संबंधी :-

1. विज्ञापित पदों के नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संबंधित जिले में गठित प्रबंधन एवं संचालन समिति, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होगी।
2. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है, अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति नियुक्तिकर्ता द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
3. सत्यापन में अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर अयोग्य माना जायेगा।

संलग्न :- परिशिष्ट 'अ'


संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ.क्र./98/सेजेस/CBT/विज्ञापन/2026

नवा रायपुर, दिनांक 29/09/2026

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर/अध्यक्ष, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति को सूचनार्थ।
3. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग छ.ग. को सूचनार्थ।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छ.ग. को सूचनार्थ।


संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर- शैक्षणिक के रिक्त संविदा पदों की जिलावार जानकारी

स.क्र.	क्रमांक	पदनाम	राजपुर	बलीदासबाजार	महासमुंद	गहिराबाद	धमतरी	दुर्ग	राजनांदगांव	बाजौर	बेतवा	कबीरसाम	मोहवा मानपुर	खैरागढ़	बिलासपुर	मुंगेली	जांजगीर	कोरबा	रायगढ़	सकती	गौरा पेंड्रा	सारागढ़	बस्तर	धीलापुर	दंतेवाड़ा	कोण्डाना	नारायणपुर	सिकम	लकौर	कोरिया	सूरजपुर	सारावा	बखामपुर	मोदीगढ़	लखनपुर	योग	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	योग	
1	1	व्याख्याता हिन्दी	5	2	0	1	1	14	0	3	0	0	0	0	2	2	1	4	3	0	1	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	4	1	0	2	51	
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	5	0	1	3	0	16	1	1	5	0	0	1	3	3	0	1	0	4	4	0	2	2	1	0	3	0	3	0	1	2	2	1	0	65	
3	3	व्याख्याता संस्कृत	6	1	2	3	2	11	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	1	1	0	0	2	1	0	3	0	0	0	1	2	0	0	1	47	
4	4(1)	व्याख्याता भूगोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2		
5	4(2)	व्याख्याता अर्थशास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3		
6	5(1)	व्याख्याता इतिहास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	
7	5(2)	व्याख्याता राजनीति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	
8	6	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	3	0	0	5	2	9	0	0	7	1	0	0	4	1	1	1	0	4	0	1	2	3	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	52
9	7	व्याख्याता गणित	5	2	1	3	2	9	0	1	4	0	0	1	3	1	0	0	5	1	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	1	3	1	0	0	49	
10	8	व्याख्याता जीव विज्ञान	4	0	0	2	0	10	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	4	0	1	4	0	2	0	0	2	1	0	0	39	
11	9	व्याख्याता वाणिज्य	9	0	0	4	3	21	1	1	10	0	0	0	3	8	2	10	1	2	2	2	5	4	0	1	4	1	4	0	0	4	1	1	0	104	
12	10	व्याख्याता रसायन	3	1	0	3	0	10	0	1	6	0	0	1	4	2	0	1	0	1	1	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	1	44	
13	11	व्याख्याता भौतिक	3	5	1	4	0	10	0	1	3	0	0	0	1	3	1	0	0	3	1	0	2	2	1	1	3	1	3	0	2	0	2	0	0	53	
14	12	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	1	0	2	2	2	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	3	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	27	
15	13	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	0	0	0	2	3	3	0	1	0	2	0	0	2	1	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	24	
16	14	सहायक शिक्षक	38	31	15	13	9	34	5	32	37	18	12	13	32	26	13	30	15	28	17	3	37	8	11	12	7	5	34	6	5	15	9	13	7	590	
17	15(1)	शिक्षक हिन्दी	0	1	1	0	0	3	1	0	1	0	2	1	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	
18	15(2)	शिक्षक संस्कृत	0	1	0	1	0	2	1	0	2	0	1	1	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
19	16	शिक्षक अंग्रेजी	4	7	7	1	3	5	1	0	11	0	3	2	7	1	3	9	3	6	1	1	2	8	1	0	3	0	7	1	4	4	1	0	0	106	
20	17	शिक्षक कला	2	1	3	4	0	5	2	2	2	0	0	1	0	3	0	10	3	7	3	0	0	4	0	3	4	0	5	0	0	5	1	0	2	72	
21	18	शिक्षक विज्ञान	7	1	2	2	3	6	0	0	3	0	1	1	3	4	0	2	3	2	2	2	1	1	0	0	3	0	3	0	0	3	1	0	0	56	
22	19	शिक्षक गणित	9	1	1	3	1	6	2	3	1	1	1	1	0	4	3	1	1	5	3	3	0	2	5	0	1	3	0	1	0	1	4	0	2	68	
23	20	व्यायाम शिक्षक	6	2	0	1	3	11	1	3	2	1	0	0	3	1	1	1	1	2	2	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	2	0	0	1	50	
24	21	ग्रंथपाल	5	0	1	4	3	10	0	2	3	0	3	0	3	5	2	2	2	1	2	2	1	0	0	2	2	0	2	0	0	2	0	0	1	60	
25	22	शिक्षक कम्प्यूटर	7	1	0	1	1	4	1	2	0	0	1	0	4	2	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	4	0	2	40	
26	23	प्रयोगशाला सहायक	19	3	6	4	5	28	2	4	3	3	2	2	9	9	3	7	5	6	3	1	0	3	2	2	4	1	11	0	3	7	2	2	9	170	
योग			141	61	41	66	43	229	18	60	103	29	24	25	97	82	28	87	56	73	46	15	55	61	20	23	59	9	85	8	18	72	28	20	30	1812	

जिला- रायपुर

①

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	3	व्याख्याता संस्कृत	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
4	4	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	5	व्याख्याता गणित	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	6	व्याख्याता जीव विज्ञान	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7	7	व्याख्याता वाणिज्य	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
8	8	व्याख्याता रसायन	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	9	व्याख्याता भौतिक	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	10	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	11	सहायक शिक्षक	25	6	2	5	7	1	0	1	2	0	0	0	2	38
12	12	शिक्षक अंग्रेजी	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
13	13	शिक्षक कला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14	14	शिक्षक विज्ञान	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
15	15	शिक्षक गणित	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
16	16	व्यायाम शिक्षक	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
17	17	ग्रंथपाल	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
18	18	शिक्षक कम्प्यूटर	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
19	19	प्रयोगशाला सहायक	12	3	1	3	3	0	0	0	1	0	0	0	1	19
योग			80	24	19	18	11	1	0	1	3	0	0	0	3	141

जिला- बलौदाबाजार

2

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	9	व्याख्याता गणित	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	12	व्याख्याता रसायन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	13	व्याख्याता भौतिक	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	16	सहायक शिक्षक	16	6	4	5	4	1	1	1	1	0	0	0	2	31
8	17	शिक्षक हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	18	शिक्षक संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	19	शिक्षक अंग्रेजी	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
11	20	शिक्षक कला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	22	शिक्षक गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	23	व्यायाम शिक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15	25	शिक्षक कम्प्यूटर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	26	प्रयोगशाला सहायक	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
योग			35	12	6	8	5	1	1	1	1	0	0	0	2	61

जिला- महासमुंद

3

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निशवत्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अ.न.र.क्षि.त	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्षि.त	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्षि.त	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	9	व्याख्याता गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	16	सहायक शिक्षक	7	2	4	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	15
6	17	शिक्षक हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	19	शिक्षक अंग्रेजी	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
8	20	शिक्षक कला	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	22	शिक्षक गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	24	ग्रंथपाल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	26	प्रयोगशाला सहायक	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
योग			22	4	10	5	2	0	1	0	0	0	0	0	1	41

जिला- गरियाबंद

4

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निशवतजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5	9	व्याख्याता गणित	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	11	व्याख्याता वाणिज्य	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	12	व्याख्याता रसायन	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	13	व्याख्याता भौतिक	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
10	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	16	सहायक शिक्षक	5	1	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13
13	18	शिक्षक संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	20	शिक्षक कला	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
16	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	22	शिक्षक गणित	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
18	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	24	ग्रंथपाल	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
20	25	शिक्षक कम्प्यूटर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21	26	प्रयोगशाला सहायक	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
योग			31	1	21	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	66

जिला- धमतरी

5

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिकित्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिकित्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिकित्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिकित्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	9	व्याख्याता गणित	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	11	व्याख्याता वाणिज्य	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	16	सहायक शिक्षक	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
9	19	शिक्षक अंग्रेजी	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	21	शिक्षक विज्ञान	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
11	22	शिक्षक गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	23	व्यायाम शिक्षक	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
13	24	ग्रंथपाल	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14	25	शिक्षक कम्प्यूटर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	26	प्रयोगशाला सहायक	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
योग			27	1	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43

जिला- दुर्ग

6

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निशवतजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	9	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	14
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	11	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	16
3	3	व्याख्याता संस्कृत	7	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11
4	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
5	9	व्याख्याता गणित	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
6	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	7	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10
7	11	व्याख्याता वाणिज्य	14	3	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	21
8	12	व्याख्याता रसायन	7	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10
9	13	व्याख्याता भौतिक	7	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10
10	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	16	सहायक शिक्षक	22	5	2	5	6	1	0	1	2	0	0	0	2	34
13	17	शिक्षक हिन्दी	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14	18	शिक्षक संस्कृत	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15	19	शिक्षक अंग्रेजी	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
16	20	शिक्षक कला	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
17	21	शिक्षक विज्ञान	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
18	22	शिक्षक गणित	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
19	23	व्यायाम शिक्षक	7	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11
20	24	ग्रंथपाल	7	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10
21	25	शिक्षक कम्प्यूटर	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
22	26	प्रयोगशाला सहायक	18	4	2	4	5	1	0	1	1	0	0	0	2	28
योग			144	28	24	33	34	2	0	2	3	0	0	0	7	229

जिला- राजनांदगांव

7

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	16	सहायक शिक्षक	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4	17	शिक्षक हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	18	शिक्षक संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	20	शिक्षक कला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	22	शिक्षक गणित	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	25	शिक्षक कम्प्यूटर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	26	प्रयोगशाला सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
योग			12	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

जिला- बालोद

8

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	9	व्याख्याता गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	12	व्याख्याता रसायन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	16	सहायक शिक्षक	15	3	10	4	4	0	3	1	1	0	1	0	2	32
11	20	शिक्षक कला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	22	शिक्षक गणित	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
13	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14	24	ग्रंथपाल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15	25	शिक्षक कम्प्यूटर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	26	प्रयोगशाला सहायक	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
योग			31	3	18	8	4	0	3	1	1	0	1	0	2	60

जिला- बेमेतरा

9

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	व्याख्याता अंग्रेजी	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3	9	व्याख्याता गणित	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	11	व्याख्याता वाणिज्य	6	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
6	12	व्याख्याता रसायन	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7	13	व्याख्याता भौतिक	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	16	सहायक शिक्षक	24	6	2	5	7	1	0	1	2	0	0	0	2	37
11	17	शिक्षक हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	18	शिक्षक संस्कृत	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	19	शिक्षक अंग्रेजी	7	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11
14	20	शिक्षक कला	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15	21	शिक्षक विज्ञान	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
16	22	शिक्षक गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	23	व्यायाम शिक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
18	24	ग्रंथपाल	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
19	26	प्रयोगशाला सहायक	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
योग			67	22	4	10	12	1	0	1	2	0	0	0	2	103

जिला- कबीरधाम

10

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	16	सहायक शिक्षक	9	2	4	3	2	0	1	0	0	0	0	0	1	18
4	22	शिक्षक गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	24	ग्रंथपाल	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	26	प्रयोगशाला सहायक	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
योग			17	2	7	3	2	0	1	0	0	0	0	0	1	29

जिला- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी

11

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नि:शस्त्रजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	16	सहायक शिक्षक	6	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3	17	शिक्षक हिन्दी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	18	शिक्षक संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	19	शिक्षक अंग्रेजी	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	22	शिक्षक गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	25	शिक्षक कम्प्यूटर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	26	प्रयोगशाला सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
योग			15	1	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24

जिला- खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई

12

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अ.न.र.क्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	9	व्याख्याता गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	12	व्याख्याता रसायन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	16	सहायक शिक्षक	6	1	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13
6	17	शिक्षक हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	18	शिक्षक संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	20	शिक्षक कला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	26	प्रयोगशाला सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
योग			16	1	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	25

जिला- बिलासपुर

13

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अ.न.र.क्षि.त	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्षि.त	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्षि.त	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	9	व्याख्याता गणित	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	11	व्याख्याता वाणिज्य	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	12	व्याख्याता रसायन	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	16	सहायक शिक्षक	17	6	5	4	5	1	1	1	1	0	0	0	2	32
12	17	शिक्षक हिन्दी	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
13	18	शिक्षक संस्कृत	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
14	19	शिक्षक अंग्रेजी	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
15	21	शिक्षक विज्ञान	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
16	22	शिक्षक गणित	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
17	23	व्यायाम शिक्षक	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
18	24	ग्रंथपाल	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
19	25	शिक्षक कम्प्यूटर	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
20	26	प्रयोगशाला सहायक	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
योग			55	24	12	6	7	1	1	1	1	0	0	0	2	97

जिला- मुंगेली

14

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	3	व्याख्याता संस्कृत	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	9	व्याख्याता गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	11	व्याख्याता वाणिज्य	4	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
8	12	व्याख्याता रसायन	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	13	व्याख्याता भौतिक	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	16	सहायक शिक्षक	13	6	3	4	3	1	0	1	1	0	0	0	1	26
13	17	शिक्षक हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	18	शिक्षक संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	20	शिक्षक कला	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17	21	शिक्षक विज्ञान	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
18	22	शिक्षक गणित	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
19	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	24	ग्रंथपाल	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
21	25	शिक्षक कम्प्यूटर	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22	26	प्रयोगशाला सहायक	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
योग			39	20	15	8	5	1	0	1	1	0	0	0	1	82

जिला- जांजगीर

15

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल शिक्षितों की वर्गवार संख्या				कुल शिक्षितों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल शिक्षितों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल शिक्षितों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अ.न.स.	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.स.	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.स.	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	11	व्याख्याता वाणिज्य	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	16	सहायक शिक्षक	7	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13
6	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	22	शिक्षक गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	24	ग्रंथपाल	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	26	प्रयोगशाला सहायक	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
योग			14	7	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	28

जिला- कोरबा

16

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	11	व्याख्याता वाणिज्य	4	1	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10
7	12	व्याख्याता रसायन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	16	सहायक शिक्षक	10	3	13	4	3	0	3	1	0	0	0	0	2	30
11	19	शिक्षक अंग्रेजी	3	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
12	20	शिक्षक कला	4	1	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10
13	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14	22	शिक्षक गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	24	ग्रंथपाल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	25	शिक्षक कम्प्यूटर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
18	26	प्रयोगशाला सहायक	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
योग			36	7	34	10	5	0	6	1	0	0	0	0	2	87

[Handwritten Signature]

जिला- रायगढ़

17

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के श्रुतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अ.न.र.क्षि.त	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्षि.त	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्षि.त	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	9	व्याख्याता गणित	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	16	सहायक शिक्षक	6	2	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	15
9	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	20	शिक्षक कला	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
11	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	22	शिक्षक गणित	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
13	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14	24	ग्रंथपाल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15	26	प्रयोगशाला सहायक	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
योग			23	5	17	11	1	0	1	0	0	0	0	0	1	56

जिला- सक्ती

18

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अ.न.र.क्षि.त	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्षि.त	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्षि.त	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4	9	व्याख्याता गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	11	व्याख्याता वाणिज्य	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	12	व्याख्याता रसायन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	13	व्याख्याता भौतिक	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	16	सहायक शिक्षक	14	7	3	4	4	2	0	1	1	0	0	0	2	28
10	19	शिक्षक अंग्रेजी	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
11	20	शिक्षक कला	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
12	21	शिक्षक विज्ञान	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	22	शिक्षक गणित	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14	23	व्यायाम शिक्षक	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15	24	ग्रंथपाल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	25	शिक्षक कम्प्यूटर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	26	प्रयोगशाला सहायक	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
योग			33	18	13	9	4	2	0	1	1	0	0	0	2	73

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	12	व्याख्याता रसायन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	16	सहायक शिक्षक	4	1	10	2	1	0	3	0	0	0	1	0	1	17
10	17	शिक्षक हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	18	शिक्षक संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	20	शिक्षक कला	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15	22	शिक्षक गणित	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
16	24	ग्रंथपाल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	26	प्रयोगशाला सहायक	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
योग			20	1	22	3	1	0	3	0	0	0	1	0	1	46

जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़

20

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	16	सहायक शिक्षक	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	24	ग्रंथपाल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	26	प्रयोगशाला सहायक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
योग			10	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	16	सहायक शिक्षक	8	1	23	5	2	0	6	1	0	0	2	0	2	37
6	17	शिक्षक हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	22	शिक्षक गणित	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	24	ग्रंथपाल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
योग			17	1	31	6	2	0	6	1	0	0	2	0	2	55

जिला- बीजापुर

22

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	3	व्याख्याता संस्कृत	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	9	व्याख्याता गणित	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7	11	व्याख्याता वाणिज्य	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	12	व्याख्याता रसायन	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	13	व्याख्याता भौतिक	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	16	सहायक शिक्षक	0	1	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
12	19	शिक्षक अंग्रेजी	0	1	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
13	20	शिक्षक कला	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
14	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	22	शिक्षक गणित	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
16	23	व्यायाम शिक्षक	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17	25	शिक्षक कम्प्यूटर	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
18	26	प्रयोगशाला सहायक	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
योग			2	2	46	11	0	0	3	0	0	0	0	0	0	61

जिला- दंतेवाड़ा

23

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	16	सहायक शिक्षक	1	0	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	11
7	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	26	प्रयोगशाला सहायक	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
योग			6	0	12	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20

जिला- कोण्डागांव

24

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	16	सहायक शिक्षक	1	1	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12
5	20	शिक्षक कला	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	22	शिक्षक गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	24	ग्रंथपाल	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	26	प्रयोगशाला सहायक	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
योग			5	1	14	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	23

जिला- नारायणपुर

25

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	3	व्याख्याता संस्कृत	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	9	व्याख्याता गणित	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7	11	व्याख्याता वाणिज्य	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	12	व्याख्याता रसायन	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	13	व्याख्याता भौतिक	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	16	सहायक शिक्षक	0	1	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
11	19	शिक्षक अंग्रेजी	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	20	शिक्षक कला	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
13	21	शिक्षक विज्ञान	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14	22	शिक्षक गणित	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
15	23	व्यायाम शिक्षक	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	24	ग्रंथपाल	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	25	शिक्षक कम्प्यूटर	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
18	26	प्रयोगशाला सहायक	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
योग			0	15	43	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	59

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	9	व्याख्याता गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	16	सहायक शिक्षक	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5	26	प्रयोगशाला सहायक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
योग			5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अ.न.र.क्ष.त.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्ष.त.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.न.र.क्ष.त.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	4	व्याख्याता भूगोल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	5	व्याख्याता अर्थशास्त्र	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	9	व्याख्याता गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	16	सहायक शिक्षक	9	1	19	5	2	0	5	1	0	0	1	0	2	34
11	19	शिक्षक अंग्रेजी	2	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
12	20	शिक्षक कला	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
13	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14	22	शिक्षक गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	24	ग्रंथपाल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	26	प्रयोगशाला सहायक	3	1	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11
योग			28	2	46	9	2	0	7	1	0	0	1	0	2	85

जिला- कोरिया

28

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	16	सहायक शिक्षक	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
3	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
योग			4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

[Handwritten Signature]

जिला- सूरजपुर

29

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	ब्याख्याता अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	3	ब्याख्याता संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	9	ब्याख्याता गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	16	सहायक शिक्षक	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7	22	शिक्षक गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	25	शिक्षक कम्प्यूटर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	26	प्रयोगशाला सहायक	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
योग			10	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

जिला- सरगुजा

30

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	6	व्याख्याता इतिहास	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	7	व्याख्याता राजनीति	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	9	व्याख्याता गणित	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	12	व्याख्याता रसायन	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	15	प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	16	सहायक शिक्षक	4	1	8	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	15
13	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
14	20	शिक्षक कला	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
15	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
16	22	शिक्षक गणित	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
17	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
18	24	ग्रंथपाल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
19	25	शिक्षक कम्प्यूटर	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
20	26	प्रयोगशाला सहायक	2	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
योग			24	1	38	9	1	0	3	0	0	0	0	0	1	72

जिला- रामानुजगंज-बलरामपुर

31

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	6	व्याख्याता इतिहास	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	7	व्याख्याता राजनीति	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	9	व्याख्याता गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	10	व्याख्याता जीव विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	13	व्याख्याता भौतिक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	16	सहायक शिक्षक	2	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
10	17	शिक्षक हिन्दी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	18	शिक्षक संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	19	शिक्षक अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	20	शिक्षक कला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	21	शिक्षक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	23	व्यायाम शिक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	26	प्रयोगशाला सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
योग			17	0	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28



जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

32

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	11	व्याख्याता वाणिज्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	16	सहायक शिक्षक	4	1	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13
5	25	शिक्षक कम्प्यूटर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	26	प्रयोगशाला सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
योग			9	1	8	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	20

जिला- जशपुर

33

स.क्र.	पद क्रमांक	पदनाम	कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल शक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अ.न.श.	अ.ज.	अ.ज.ज.	अ.पि.व.	अ.न.श.	अ.ज.	अ.ज.ज.	अ.पि.व.	अ.न.श.	अ.ज.	अ.ज.ज.	अ.पि.व.		
1	1	व्याख्याता हिन्दी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	3	व्याख्याता संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	8	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	12	व्याख्याता रसायन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	14	प्रधानपाठक प्राथमिक शाला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	16	सहायक शिक्षक	1	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
7	18	शिक्षक संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	20	शिक्षक कला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	22	शिक्षक गणित	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	24	ग्रंथपाल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	26	प्रयोगशाला सहायक	2	1	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
योग			12	2	14	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	30
कुल योग			866	207	534	205	104	9	47	12	13	0	5	0	32	1812